

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3026 /

जबलपुर, दिनांक 03 / 06 / 2025

IV-12-14/80 Pt VII-U

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1 / 2025 / नियम / चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्री कृष्णा कोरी दीवान, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 15 / 04 / 2025 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/3027 /

जबलपुर, दिनांक 03 / 06 / 2025

IV-12-14/80 VII Pt VII-U

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) स्थापना / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री कृष्णा कोरी दीवान, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)